

**दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करने व हत्या करने के मामले में वाँछित
अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 728/20 धारा 302 भा0द0वि0 वाँछित अभियुक्त नाम पता 1 अजय पुत्र स्व0 रामनौकर निवासी बघौड़ा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया है ।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.11.2020 को वादी चन्द्रिका प्रसाद पुत्र सन्तु निवासी समदपुर थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर की पुत्री सोनी उम्र 26 वर्ष के साथ दहेज व मोटर साइकिल की मांग करते हुए प्रताड़ित किया गया तथा हत्या कर दी गयी । जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें आज दिनांक 16.01.2021 को उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रविन्द्र कुमार गौतम, का0 प्रवीन तिवारी, का0 राजन खरवार ।

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौरस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री गयादत्त मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 18/21 धारा 363भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट मे वाँछित अभियुक्त नाम पता कृष्णचन्द पुत्र राजमन निवासी चाईखुर्द थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.01.2021 को वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा दिनांक 13.01.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 16.01.2021 को थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली० अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता हरिभजन निषाद उर्फ कोईल पुत्र स्व० शिवमूरत निवासी भेडौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु०अ०सं० 13/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे०का०प्रो० जय प्रकाश मिश्रा मय हमराह ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 ली० अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता सोनू पुत्र शिवमूरत निवासी बभनौली थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु०अ०सं० 29/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।**

● **थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

● **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल –

पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बाराखाल से इवेन्ट संख्या 07665 से कालर ने ट्रक खाई में गिरने से दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल 05 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को पीआरवी वाहन से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया तथा थाना धनघटा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 दिनेश यादव, आ0 रविकान्त कुशवाहा, आ0चा0 राजीव सोनकर ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 24 वाहनो से 19500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 24 वाहनो से 19500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।